संख्या-70/2022/आई/182168/2022/71-2099/1170/2020

प्रेषक,

मुमताज अहमद सिद्दीकी,

अनु सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक ,

एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,

लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 जून, 2022

विषयः-एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ परिसर के अन्तर्गत निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटर की परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में भुगतान की गयी धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पी0जी0आई0/सिविल/अभि0/एन0बी0-90/2015/163 / 2022, दिनांक 04-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ परिसर के अन्तर्गत निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटर की परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में भुगतान की गयी अवशेष धनराशि रू0 1855.03 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना हेतु शासनादेश संख्या-39/2022/28/ 71 -2-2022-71-2099/1170/2020 दिनांक 30-03-2022 द्वारा जी0एस0टी0 मद में भुगतान की गयी धनराशि रू0 3115.92 लाख में से रू0 1260.90 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ परिसर के अन्तर्गत निर्माणाधीन इमरजेंसी मेडिसिन एवं किडनी ट्रान्सप्लांट सेंटर की परियोजना हेतु जी0एस0टी0 मद में भुगतान की गयी धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 में संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ हेतु अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद-24 वृहद निर्माण कार्य मद में प्राविधानित धनराशि रू0 7000.00 लाख के सापेक्ष रू0 1855.02 लाख (रूपये अठारह करोड़ पचपन लाख दो हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

नियम व शर्तें/प्रतिबन्ध

1. प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु निर्गत की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा। अन्य कार्य हेतु व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
2. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस- 2022-231 / 2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
4. प्रश्नगत प्रायोजना के पूर्ण होने की संभावित तिथि व कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराया जाए। कार्यदायी संस्था/संस्थान सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. शासनादेश संख्या-74/2021/I/80660/2021-71-2099/1170/ 2020, दिनांक 19 जुलाई, 2021 की सुसंगत शर्ते/ प्रतिबन्ध यथावत रहेगे।
6. संस्थान के वित्त नियन्त्रक द्वारा जी0एस0टी0 मद में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित चालानों तथा आंकड़ो का पुनः मिलान कर लिया जायेगा।
7. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 18,55,02,000 (रूपये अठारह करोड़ पचपन लाख दो हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050300 संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 द्वारा प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या एवं दिनांक उपर्युक्तानुसार -:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
8. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमि0, लखनऊ।
9. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।